न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–08/2016 (2016/00029)

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
वीराराम पुत्र रामचन्द्र जाति भील निवासी भील बस्ती सांगरिया तहसील व जिला जोधपुर।		1.पन्नाराम पुत्र दलाराम जाति मैणा निवासी भाखरी पोस्ट भाचरणा, तहसील लूणी जोधपुर। 2.समसूदेवी पत्नी चोपाराम पुत्री दलाराम जाति मैणा निवासी मु.पोस्ट रामा, तहसील आहोर जिला जालोर। 3.नेनूदेवी पत्नी कालूराम पुत्री दलाराम जाति मैणा, निवासी वायद तहसील रोहट जिला पाली। 4.धापूदेवी पत्नी कीकाराम पुत्री दलाराम जाति मैणा निवासी मु0 पोस्ट रामा तहसील आहोर जिला जालोर। 5.कुकीदेवी पत्नी धन्नाराम पुत्री दलाराम जाति मैणा निवासी कुलथाना तहसील रोहट जिला पाली। 6.सरपंच ग्राम पंचायत भाचरणा तहसील लूणी जोधपुर। 7.तहसीलदार लूणी जोधपुर।

नामान्तकरण अपील पत्र अर्न्तगत **धारा 75 राजस्थान भू– राजस्व** अधिनियम **1956**

उपस्थिति –

1. अपीलान्ट की और से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह।
2. रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 से 5 की और से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह।

आदेश

दिनांक :–07.04.2026

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय एंव अन्य खसरे की भूमि राजस्व गांव भाकरी पटवार क्षैत्र भाचरणा तहसील लूणी जोधपुर की सरहद में स्थित है। इस भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 का 1/3 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज है तथा राजस्व रेकार्ड के अनुसार 1/3 हिस्सा विद्यमान है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 ने दिनांक 23.02.2015 को खसरा नम्बर 32 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि में से 1/3 सम्पूर्ण हक व हिसस्े की भूमि अपीलान्ट को विक्रय कर बेचाननामे का विधिवत पंजीयन करवाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया। इसके पश्चात अपीलान्ट ने अपने नाम का नामान्तरकरण स्वीकार करने हेतु आवेदन किया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक/हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण भर कर स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत भाचरणा के समक्ष प्रस्तुत किया जो बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये व बिना जांच दिनांक 05.01.2016 को निरस्त कर दिया। ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 05.01.2026 की बैठक में आपत्ति दर्ज होने के कारण नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है। सर्वथा विधि विरूद्व है क्योकि वास्तव में आपत्ति तो किसी के द्वारा की ही नही गई थी और न ही ऐसी कोई आपत्ति पंचायत रिकोर्ड में है। ऐसी स्थिति में आपत्ति कहां से आ सकती है। इससे तो ग्राम पंचायत की दुर्भावना स्पष्ट रूप से उजागर होती है तथा नियमो की अवलेहना की गयी है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.01.2016 को नामान्तकरण खारीज करने की प्रथम जानकारी दिनांक 02.05.2026 को पटवारी से नकल लेने पर जानकारी हुई। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 5.01.16 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है।

2. अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 की और से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 06 व 07 के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जो शामिल मिसल है। रेस्पोडेन्टगण द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया।

3. हमने पत्रावली का विस्तृत अवलोकन किया गया। बहस सूनी एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का पर्याप्त कारण अंकित किया गया है जिससे संतुष्ट होकर गुणावगुण पर निर्णय के लिये अपील प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 ने दिनांक 23.02.2015 को खसरा नम्बर 32 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि में से 1/3 संपूर्ण हक व हिस्से की भूमि अपीलांट को विक्रय कर बेचाननामें का विधिवत पंजीयन करवाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया तत्पश्चात अपीलांट ने अपने नाम नामान्तकरण स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक/हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण भरकर स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत भाचरणा के समक्ष प्रस्तुत किया जो कि बिना कानूनी प्रकिया अपनाए ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण पर पंचायत बैठक दिनांक 05.01.2016 की बैठक में आपत्ति दर्ज होने के कारण नामान्तरकरण निरस्त किया गया। सर्वथा विधि विरूद्व है क्योकि वास्तव में आपत्ति तो किसी के द्वारा नही की गई थी और न ही ऐसे कोई आपत्ति ग्राम पंचायत के रेकार्ड में है। इस प्रकार ग्राम पंचायत का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। पत्रावली में उपलब्ध बेचाननामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 से 05 ने दिनांक 23.02.2015 को खसरा 32 रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि में से 1/3 संपूर्ण हक व हिस्से की भूमि अपीलांट विक्रय कर बेचाननामें का विधिवत पंजीयन करवाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

–: : आदेश : :–

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 318 ग्राम भाखरी ग्राम पंचायत भाचरणा के आदेश दिनांक 05.01.2016 के द्वारा निरस्त किया, उक्त ग्राम पंचायत के नामान्तकरण आदेश दिनांक 05.01.2016 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट द्वार उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 318 ग्राम भाखरी से सम्बन्धित पंजीबद्व बैचाननामें प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के पक्ष में नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की विधिसम्मत कार्यवाही करें। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी